न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(डॉ.भंवर लाल, आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

नामान्तरण अपीलः 04/2019

दायर दिनांकः 07.02.2019

निर्णय दिनांक 20.02.2024

—:अनवानः—

खमाणी पत्नि धनसिंह जाति खरवड़ राजपुत आयु 50 वर्ष निवासी केसर, तहसील कुम्भलगढ, जिला राजसमन्द

... अपीलान्ट

बनाम

1. केसरसिंह पिता खेमा जाति खरवड़ राजपुत उम्र 50 साल, निवासी – थलकी भागल, कुंचोली, ग्राम पंचायत केसर, तहसील कुम्भलगढ, जिला राजसमन्द (राज०)
2. जवेरसिंह पिता मोती जाति खरवड राजपुत उम्र 65 साल, निवासी – थलकी भागल, कुंचोली, ग्राम पंचायत केसर, तहसील कुम्भलगढ, जिला राजसमन्द (राज०)
3. वरदीसिंह पिता मोती जाति खरवड़ राजपुत उम्र 50 साल, निवासी – थलकी भागल, कुंचोली, ग्राम पंचायत केसर, तहसील कुम्भलगढ, जिला राजसमन्द (राज०)
4. वगतु पिता गजैसिंह जाति राजपुत उम्र 60 साल, निवासी गणावल, कुंचोली, ग्राम पंचायत पलासना, सायरा, जिला उदयपुर (राज०)
5. खेमसिंह पिता भैरूसिंह जाति राजपुत उम्र 35 साल, निवासी झड़पा, कुंचोली, तहसील कुम्भलगढ, जिला राजसमन्द (राज०)
6. राज्य सरकार जरिये, तहसीलदार कुम्भलगढ, जिला राजसमन्द (राज०)

—— रेस्पोडेण्टगण

अपील विरूद्ध नामान्तरण संख्या 723, निर्णय दिनांक 02.02.1983 तहसीलदार कुम्भलगढ़।

उपस्थितः—

1— श्री अतुल पालीवाल, अधिवक्ता अपीलार्थीया
2— रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 05 अनुपस्थित
3— श्री अनील बागोरा, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 6

–:: निर्णय ::–

अपीलाण्ट द्वारा उक्त अपील विरूद्ध नामान्तरण संख्या 723, निर्णय दिनांक 02.02.1983 तहसीलदार कुम्भलगढ़ से व्यथित होकर अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत की गई जिसके संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है। राजस्व गॉव केसर, पटवार हल्का कुंचोली, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ओड़ा, तहसील कुम्भलगढ, जिला राजसमन्द में वर्णित आराजी नम्बर 140, 29, 2, 1, 1274 उक्त समस्त आराजीयात जगतींग खरवड़ के नाम पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज होकर वह एकमात्र स्वामी था, जिसके पीछे वारिसान में तीन लड़के कमशः रूपा, खेमा एवं मोती थे। जगतींग के निधन के पश्चात विरासत से जमीन जगतींग के तीनो पुत्र रूपा, खेमा व मोती के नाम पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं। रूपा के निधन हो जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय कर नामान्तरकरण खोला गया वह रूपा की पत्नि कन्नी के नाम पर खोला गया जो विधिक रूप से गलत हैं। कानुन का स्पष्ट प्रावधान हैं कि पिता के निधन के पश्चात उसके सभी वारिसान जो जिन्दा हैं उनके नाम पर निर्णित किया जाना चाहिये, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नही किया गया एवं मनमकसुद तरीके से निर्णय कर जमीन अकेले कन्नी के नाम दर्ज करने की स्वीकृति दी गई। उक्त निर्णय से विवश व मजबुर होकर जानकारी होते हीं यह अपील आप न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही हैं। अधीनस्थ न्यायालय को इस प्रकार का निर्णय करने से पूर्व मृतक के तमाम वारिसो की जाँच की जानी आवश्यक थी। उक्त प्रकरण में अविलम्ब न्यायालय के समक्ष यह तथ्य आया कि खातेदार रूपा के कोई लड़का नही हैं, दो लड़किया हैं जो कमशः खमाणीबाई व वगतुबाई हैं। निर्णय में यह भी अंकित किया गया कि दोनो लड़किया शादीशुदा हैं एवं वे अपने ससुराल में हीं रह रही हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह भी अंकन करना कि रूपा की पत्नि कन्नी के द्वारा ऐसा कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया, कि जमीन में दोनो लड़कियो का भी नाम अंकित किया जाए, लेकिन अपीलान्ट की माँ कन्नी के द्वारा ऐसा कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत न करने से केवल कन्नीबाई के नाम पर हीं नामान्तरकरण निर्णित किया गया। उक्त नामान्तरकरण रूपा के निधन के कुछ समय बाद निर्णित किया गया, जिसमें बैरून मयाद का जुर्माना 5 /– रूपये भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की माता से वसूल किया गया। इतना हीं नही उक्त नामान्तरकरण पर अधीनस्थ न्यायालय के अलावा वार्ड मैम्बर के हीं हस्ताक्षर होते हैं, लेकिन इस पर अपीलान्ट की माता कन्नीबाई की भी अंगुठा निशानी कराई गई जो इस बात को प्रदर्शित करता हैं

न्यायालय जिला कलक्टर

कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रभावित होकर उक्त निर्णय किया हैं, जो विधि के सिद्धान्त के विपरीत होकर गलत हैं एवं उक्त निर्णय निरस्त योग्य हैं।

अपीलान्ट के परिवार का सजरा खानदान निम्न प्रकार हैं :–

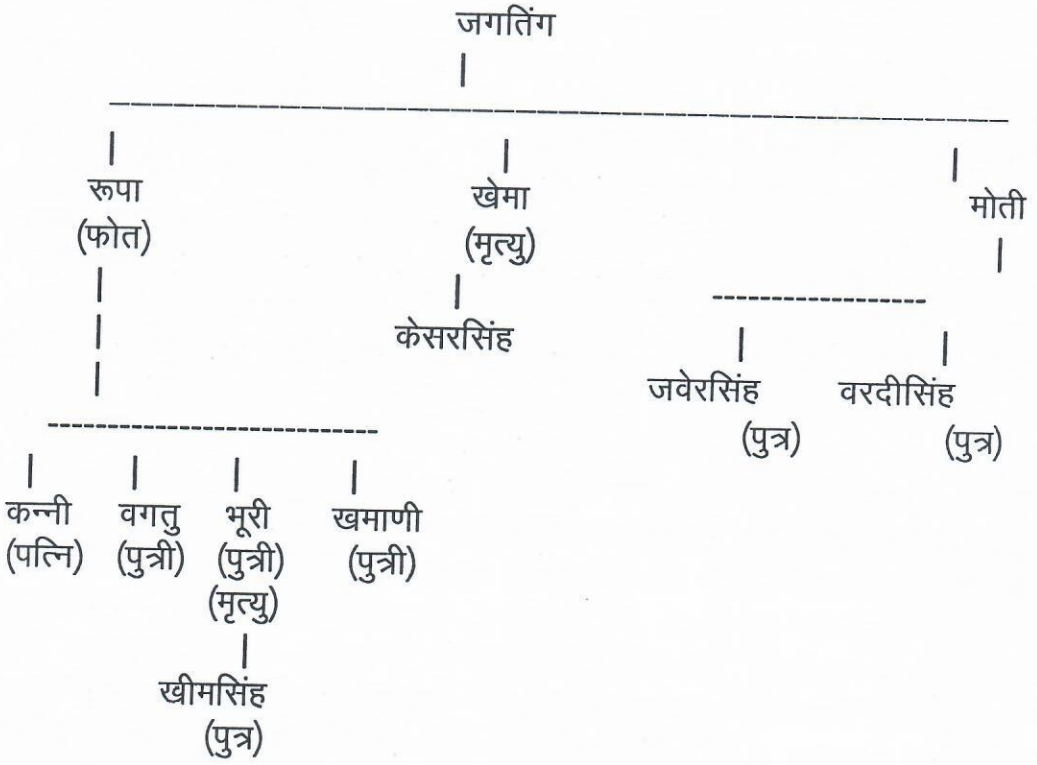

रेस्पान्डेंट संख्या 1, 2 व 3 के पिता खेमा व मोती ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए अपने भाई रूपा के निधन के पश्चात रूपा के भाई खेमा व मोती ने इस उद्देश्य के साथ रूपा के वारिसान के रूप में केवल कन्नी को हीं एकमात्र वारिस बनवाया, ताकि कन्नी के निधन के पश्चात कन्नी का पुरा हिसाब रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2 व 3 के पिता को प्राप्त हो जाए एवं हुआ भी वैसा हीं कि रूपा के पश्चात कन्नी एकमात्र वारिस थी एवं जब कन्नी फौत हुई तो रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2 व 3 के पिता खेमा व मोती निकटतम वारिस होने के चलते कन्नी का हिस्सा अपने नाम करवा लिया। इस प्रकार से रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2 व 3 के पिता के द्वारा जमीन को हड़प करने की नियत से चालाकी पूर्ण कृत्य कर अधीनस्थ न्यायालय की मिलीभगत के चलते इस प्रकार का निर्णय किया गया, जो प्रारम्भ से हीं शुन्य हैं। जब अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य आ चुका था कि रूपा के पत्नि के अलावा लड़किया भी हैं, तो फिर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2 व 3 के साथ खिलवाड़ किये जाने का अधिकार किसने दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने

न्यायालय जिला कलक्टर

प्रभाव में आकर सभी नियम कानुन ताक में रख कर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2 व 3 के पिता को लाभ पहुँचाने की नियत से इस प्रकार का कृत्य किया हैं, जो सरासर गलत हैं। अपील में अपीलान्ट द्वारा अपने परिवार का सजरा प्रस्तुत किया गया, जिसमें जगतींग के तीन पुत्र रूपा, खेमा, मोती हैं। रूपा के पीछे वारिसान में तीन लड़किया व पत्नि कमशः कन्नी, खमाणी वगतु एवं भूरी हैं। कन्नी का निधन हो चुका हैं। खमाणी अपीलान्ट हैं, वगतु रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 हैं एवं भूरी का भी निधन हो चुका हैं, जिसका लड़का खीमसिंह रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 हैं। इसी प्रकार जगतींग के पुत्र खेमा का भी निधन हो चुका हैं, जिसके एक पुत्र केसरसिंह हैं जो रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 हैं, इसी प्रकार जगतींग के पुत्र मोती का भी निधन हो चुका हैं, जिसके दो पुत्र जवेरसिंह व वरदीसिंह हैं, जो रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 हैं एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कुम्भलगढ जो रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 हैं के द्वारा उक्त नामान्तरकरण निर्णित किया गया हैं। अपीलान्ट के माता एवं पिता का निधन हो चुका, वह एवं उसकी बहने ग्रामीण परिवेश की होकर के अनपढ़ हैं। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2 व 3 व उनके पिता खेमा व मोती अपीलान्ट को यहीं कहते रहे कि जो जमीन तुम्हारे बाप की हैं वह जमीन तुम्हारी हैं, हम तो केवल खेती कर रहे हैं। अपीलान्ट यहीं समझती रही कि जमीन हमारे नाम पर दर्ज हैं। अभी अपीलान्ट को कृषि मद पर भूमी विकास बैंक से ऋण लेना था, इसके लिये जमाबन्दी की नकल व ट्रेस की आवश्यकता हुई। पटवारी से जाकर जमाबन्दी की नकल प्राप्त की गई तो उसमें दुर – दूर तक अपीलान्ट व अपीलान्ट की बहनो का नाम नही था, जब इस तथ्य के बारे में अपीलान्ट ने रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2 व 3 से जानकारी चाही तो उन्होने कोई स्पष्ट जवाब नही दिया और कहा कि सारी जमीन हमनें खरीद ली हैं, अब तुम्हारा यहाँ कोई हिस्सा वगैरह नही हैं, इस पर अपीलान्ट राजस्व कर्मचारी से मिली व उसे सारी घटना बताई तो कहा गया कि जब तुम्हारे पिता का निधन हुआ उस समय जो नामान्तरकरण खोला गया, उसको देखने से पता चलेगा कि क्या हुआ। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किये गये निर्णय दिनांक 02.02.1983 नामान्तरकरण संख्या 723 की नकल प्राप्त की एवं जब पटवारी हल्का द्वारा बताया गया कि रूपा जी से जमीन सीधी कन्नीबाई के नाम पर गई हैं और बाकी सारे वारिसान का नाम अंकित नही किया गया। इस प्रकार अपीलान्ट को प्रथम बार जानकारी 05.01.2018 को हुई। इससे पूर्व अपीलान्ट को कोई जानकारी नही थी। जानकारी होते हीं अन्दर मयाद अपीलान्ट द्वारा यह अपील आप श्रीमान के समक्ष ठोस एवं सच्चे आधार पर प्रस्तुत की जा रही हैं, जिसमें अपीलान्ट को सफलता मिलने की पुरी – पुरी सम्भावना है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस प्रकार से एवं जिस रूप में निर्णय पारित किया गया, वह काबिले निरस्त योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय के समय अपने विवेक, कानुन की मंशा एवं विधिक रूप से, खुले दिमाग से निर्णय किया जाना चाहिये था, लेकिन ऐसा नही कर अधीनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर

न्यायालय जिला कलक्टर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णित किये गये नामान्तरकरण संख्या 723 दिनांक 02.02.1983 तहसील कुम्भलगढ विधि सम्मत न होने के कारण निरस्त फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को इस आदेश के साथ रिमाण्ड की जाए कि रूपा के समस्त वारिसान के पक्ष में नामान्तरकरण खोला जाए।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु जरिये नोटिस सूचित किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1,2,3 की ओर से दिनांकः 06.02.2018 को उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए किन्तु इसके पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 1,2,3 एवं उनके अधिवक्ता के बावजूद सूचना के अनुपस्थित तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 4, 5 बाद तामिल के ही अनुपस्थित रहने पर दिनांक 13.02.2024 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की आज्ञा पारित की गयी। रेस्पोडेन्द संख्या 06 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थिति दी। उक्त अपील नामान्तरण संख्या 723, निर्णय दिनांक 02.02.1983 तहसीलदार कुम्भलगढ़ से स्वीकृत है। रेस्पोडेण्ट संख्या 6 द्वारा उक्त नामान्तरण आदेश नामान्तरण प्रक्रिया अनुसार प्रस्तुत साक्ष्य, सबूत व प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन कर विधि सम्मत् प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की पालना करते हुए पारित किया गया है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील सव्यय खारिज फरमायी जावें।

अधिवक्ता अपीलांट तथा राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने बहस कथन में निवेदन किया है कि राजस्व गॉव केसर, पटवार हल्का कुंचोली, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ओड़ा, तहसील कुम्भलगढ, जिला राजसमन्द में वर्णित आराजी नम्बर 140, 29, 2, 1, 1274 उक्त समस्त आराजीयात जगतींग खरवड़ के नाम पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज होकर वह एकमात्र स्वामी था, जिसके पीछे वारिसान में तीन लड़के कमशः रूपा, खेमा एवं मोती थे। जगतींग के निधन के पश्चात विरासत से जमीन जगतींग के तीनो पुत्र रूपा, खेमा व मोती के नाम पर राजस्व रेकर्ड गें दर्ज हैं। रूपा के निधन हो जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय कर नामान्तरकरण खोला गया वह रूपा की पत्नि कन्नी के नाम पर खोला गया जो विधिक रूप से गलत हैं। कानुन का स्पष्ट प्रावधान हैं कि पिता के निधन के पश्चात उसके सभी वारिसान जो जिन्दा हैं उनके नाम पर निर्णित किया जाना चाहिये, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नही किया गया एवं मनमकसुद तरीके से निर्णय कर जमीन अकेले कन्नी के नाम दर्ज करने की स्वीकृति दी गई। उक्त निर्णय से विवश व मजबुर होकर जानकारी होते हीं यह अपील आप न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही हैं। अधीनस्थ न्यायालय को इस प्रकार का निर्णय करने से पूर्व मृतक के तमाम वारिसो की जाँच की जानी आवश्यक थी। उक्त प्रकरण में अविलम्ब न्यायालय के समक्ष यह तथ्य आया कि खातेदार रूपा के कोई लड़का नही हैं, दो लड़किया हैं जो कमशः खमाणीबाई व वगतुबाई हैं। निर्णय में यह

न्यायालय जिला कलक्टर

भी अंकित किया गया कि दोनो लड़किया शादीशुदा हैं एवं वे अपने ससुराल में हीं रह रही हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह भी अंकन करना कि रूपा की पत्नि कन्नी के द्वारा ऐसा कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया, कि जमीन में दोनो लड़कियो का भी नाम अंकित किया जाए, लेकिन अपीलान्ट की माँ कन्नी के द्वारा ऐसा कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत न करने से केवल कन्नीबाई के नाम पर हीं नामान्तरकरण निर्णित किया गया। उक्त नामान्तरकरण रूपा के निधन के कुछ समय बाद निर्णित किया गया, जिसमें बैरून मयाद का जुर्माना 5 /– रूपये भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की माता से वसूल किया गया। इतना हीं नही उक्त नामान्तरकरण पर अधीनस्थ न्यायालय के अलावा वार्ड मैम्बर के हीं हस्ताक्षर होते हैं, लेकिन इस पर अपीलान्ट की माता कन्नीबाई की भी अंगुठा निशानी कराई गई जो इस बात को प्रदर्शित करता हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रभावित होकर उक्त निर्णय किया हैं, जो विधि के सिद्धान्त के विपरीत होकर गलत हैं। वो काबिले खारिज किये जाने योग्य हैं। राजकीय अधिवक्ता ने अपने बहस कथन में निवेदन किया है कि उक्त अपील आदेश नामान्तरण संख्या 723 स्वीकृत दिनांक 02.02.1983 स्वीकृत है। रेस्पोडेण्ट संख्या 6 द्वारा उक्त नामान्तरण आदेश नामान्तरण प्रक्रिया अनुसार प्रस्तुत साक्ष्य सबूत व प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन कर विधि सम्मत् प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की पालना करते हुए पारित किया गया है। अतः उक्त अपील सव्यय खारिज फरमायी जावें।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गयी। बहस पर गहन मनन किया गया। तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 02.02.1983 को स्वीकृत किये गये विरासत के नामान्तरण संख्या 723 को इस आधार पर चुनोति दी गयी हैं कि अपीलांट स्व0 श्री रूपा की पुत्री होने से हिन्दु विधि अनुसार प्रथम श्रेणी की वारिस होने से उसका भी अपने स्व0 पिता की भूमियों में समान हक अधिकार है। आक्षेपित नामान्तरण संख्या 723 का अवलोकन किया गया। हल्का पटवारी के द्वारा आक्षेपित नामान्तरण में विरासत का सजरा नहीं बनाया गया तथा विरासत की भी कोई जांच नहीं की गयी हैं और सीधा ही नामान्तरण तहसीलदार से स्वीकृत करवा लिया गया है जो न्यायोचित नहीं हैं। प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय हैं कि अपीलांट का नाम विरासत के नामान्तरण में छोड़े जाने का कोई आधार अर्थात अपीलांट की ओर से हक त्याग आदि किया हो ऐसा कोई प्रमाण भी पत्रावली पर रेस्पोण्डेंट द्वारा पेश नहीं किया गया हैं जबकि अपीलार्थी भी हिन्दु विधि अनुसार प्रथम श्रेणी की वारिस होने के कारण समान अधिकार रखती है। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये आक्षेपित नामान्तरण को निरस्त किया जाकर प्रकरण में स्व0 रूपा के सही/विधिक वारिसान की जांच कर नये सिरे से नियमानुसार सभी वारिसान एवं हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर देते हुए नामान्तरण आदेश पारित करने का निर्णय दिया जाता हैं।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, कुम्भलगढ़ द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 723, दिनांक 02.02.1983 को निरस्त किया जाता हैं तथा प्रकरण तहसीलदार, कुम्भलगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि मृतक रूपा के समस्त विधिक वारिसान की पुनः जांच की जावे एवं नये सिरे से सभी वारिसान एवं हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर देते हुए नियमानुसार नामान्तरकरण फैसल किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(डॉ. भंवर लाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 20.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(डॉ. भंवर लाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद